प्रेस को सूचना नोट {प्रेस विज्ञप्ति संख्या 76/2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क' पर अनुशंसाए जारी कीं

नई दिल्ली, 29 नवंबर 2022 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे' पर अनुशंसाए जारी की हैं।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2021 के माध्यम से सैटेलाइट गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग ढांचे पर भादूविप्रा की अनुशंसाए मांगी थीं।

3. इस संबंध में, 'सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग ढांचे' पर एक परामर्श पत्र दिनांक 15.11.2021 को जारी किया गया था। 23 हितधारकों से टिप्पणियां और 7 हितधारकों से प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं थी। दिनांक 25.02.2022 को हितधारकों के साथ एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ राय और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने सरकार को 'सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंसिंग ढांचे' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

5. इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अलग सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) लाइसेंस होगा। एसईएसजी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस (यू एल) का हिस्सा नहीं बनेगा। एसईएसजी लाइसेंस का सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होगा।

ख. एसईएसजी लाइसेंसधारी सभी प्रकार की सैटेलाइट प्रणालियों के लिए भारत के क्षेत्र में कहीं भी एसईएसजी की स्थापना, रखरखाव और कार्य कर सकता है, जिसके लिए सरकार ने अनुमति दी है।

ग. एसईएसजी लाइसेंसधारी किसी भी संस्था को सैटेलाइट-आधारित संसाधन प्रदान कर सकता है, जिसके पास दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा दी गई लाइसेंस/अनुमति है और जिसे अपने लाइसेंस/अनुमति के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए सैटेलाइट मीडिया का उपयोग करने की अनुमति है।

घ. एसईएसजी लाइसेंसधारी सरकार द्वारा अनुमोदित एक या एक से अधिक सैटेलाइट प्रणालियों के संबंध में एसईएसजी की स्थापना कर सकता है।

ङ. एसईएसजी लाइसेंसधारक के पास सीधे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की दूरसंचार सेवा या प्रसारण सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी, जिसके प्रावधान के लिए सरकार से एक अलग लाइसेंस/प्राधिकार/अनुमति की आवश्यकता होती है।

च. एसईएसजी लाइसेंस 10 साल के नवीनीकरण के प्रावधान के साथ लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

छ. लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में विश्वसनीय उत्पादों को जोड़ने के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

ज. एसईएसजी लाइसेंसधारक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समय-समय पर जारी अनुज्ञप्तिदाता (यानी दूरसंचार विभाग) के निर्देशों/निर्देशों को पूरा करेगा।

झ. केवल भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियाँ ही एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।

ञ. एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने के लिए दस लाख रुपये (1,000,000 रुपये) का एक बार का गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।

ट. क्योंकि एसईएसजी लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं को सीधे कोई सेवा प्रदान नहीं करेंगे, इसलिए एसईएसजी लाइसेंस पर केवल 1 रुपये प्रति वर्ष का टोकन लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।

ठ. एसईएसजी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में पांच हजार रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त एसईएसजी स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में पांच हजार रुपये का प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा।

ड. दूरसंचार विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए संबंधित लाइसेंसों/अनुमतियों में लैंड अर्थ स्टेशन गेटवे/हब स्टेशन/अपलिंक अर्थ स्टेशन को अनिवार्य रूप से स्थापित करने का आदेश हटा दिया जाएगा।

ढ. दूरसंचार और प्रसारण सेवा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक, जो भारत में सैटेलाइट-आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र हैं, उनके पास अपने स्वयं के सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करने का विकल्प होगा, यदि उनके लाइसेंस/अनुमति के तहत, या एसईएसजी लाइसेंसधारियों द्वारा पेश किए गए नियमों और शर्तों पर एसईएसजी के साथ अपने बेसबैंड उपकरण को जोड़कर एसईएसजी लाइसेंसधारियों द्वारा स्थापित एसईएसजी का उपयोग करने की अनुमति दी गई हो।

ण. एसईएसजी लाइसेंसधारी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे सेवा लाइसेंसधारी/अनुमति धारक, एसईएसजी लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित एसईएसजी में अपने स्वयं के बेसबैंड उपकरण स्थापित करेंगे।

त. फ़्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम (गेटवे-साइड स्पेक्ट्रम, साथ ही यूजर टर्मिनल-साइड स्पेक्ट्रम) संबंधित सैटेलाइट प्रणाली में ट्रांसपोंडर बैंडविड्थ के आवंटन के अनुसार पात्र सेवा लाइसेंसधारियों/अनुमति धारकों को सौंपा जाना चाहिए। एसईएसजी लाइसेंसधारियों को कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाएगा।

6. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.ln पर डाला गया है। स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है या advmn@trai.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है।

हा/-

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा